उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,
संख्या-22/2023/1141/94-स्टा0रजि0-2-2023-700(74)/2023
लखनऊ : दिनांक 05 अक्टूबर, 2023

**अधिसूचना**
**आदेश**

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा-78-क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के अधीन लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, वाराणसी के विकास और विस्तारीकरण के उद्देश्य से भूमि के क्रय हेतु (भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क रुपये 8,69,54,148/- (आठ करोड़ उनहत्तर लाख चौवन हजार एक सौ अड़तालीस रुपये मात्र) से छूट प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
**लीना जौहरी**
प्रमुख सचिव।

**संख्या-22/2023/1141(1)/94-स्टा0रजि0-2-2023-700(74)/2023, दिनांक 05 अक्टूबर, 2023**

हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**रवीश गुप्ता**
विशेष सचिव।

**संख्या-22/2023/1141(2)/94-स्टा0रजि0-2-2023-700(74)/2023, दिनांक 05 अक्टूबर, 2023**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार महालेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- स्टाफ आफसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
6- महानिरीक्षक निबंधन, उ0प्र0।
7- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), पदेन जिला निबंधक, वाराणसी, उ0प्र0।
8- उप महानिरीक्षक निबंधन, वाराणसी, उ0प्र0।
9- सहायक महानिरीक्षक निबंधन, वाराणसी, उ0प्र0
10- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**
**कुलदीप सिंह**
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

**UTTAR PRADESH SHASAN**

**STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2**

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification no 22/2023/1141/94-S.R.-2-2023-700(74)/2023, dated 05 October, 2023.

**Notification**

**Order**

No. 22/2023/1141/94-S.R.-2-2023-700(74)/2023

Lucknow dated 05 October, 2023.

In exercise of the powers under section-78-A of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) as amended, from time to time, in its application to Uttar Pradesh, the Governor, under this notification is pleased to remit the Registration Fee Rs 8,69,54,148/- (Eight Crores Sixty Nine Lakhs Fifty Four Thousands One Hundred Forty Eight Rupees Only) chargeable on the instrument of conveyance under Clause (a) of Article-23 of Schedule-1(b) of the Indian Stamp Act, 1899 for the purchase of land in order to the development and expansion of the Lal Bahadur Shastri Airport Varanasi.

By order,

**Leena Johri**

Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।